# बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, सहरसा

## –: निविदा आमंत्रण सूचना–01/2020 :–

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017, पत्रांक–193 दिनांक–29.01.2018 एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1218 दिनांक 10.07.2018 के आलोक में सहरसा जिलान्तर्गत सभी दस प्रखंडों (कहरा–पंचायत–15, सत्तरकटैया–पंचायत–14, सौरबाजार–पंचायत–17, सोनवर्षा–पंचायत–21, पतरघट–पंचायत–11, नवहट्टा–पंचायत–14, महिषी–पंचायत–19, सिमरी बख्तियारपुर–पंचायत–22, सलखुआ–पंचायत–11 एवं बनमा ईटहरी–पंचायत–07) के लिए विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल का उठाव कर विद्यालय तक पहुंचाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए संवेदक चयन हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा दिनांक–27.06.2020 के समय–04.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवस में सिर्फ निबंधित डाक से कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, नया शिक्षा भवन, प्रथम तल, संजय पार्क के निकट, जिला– सहरसा में प्राप्त किया जायेगा।

निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के कार्यालय वेश्म में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदक या उनके प्रतिनिधि के समक्ष कार्यालय अवधि में समय–5.00 बजे खोला जाएगा।

**निम्न शर्तो के आधार पर संवेदकों का चयन किया जायेगा –**

1. निविदादाताओं को पंद्रह (15) पंचायत तक के प्रखंड हेतु पांच (5) ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं पंद्रह (15) पंचायत से अधिक प्रखंड के लिए आठ (8) ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराऐंगे। इनमें से दो वाहन स्वंय निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे।
2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा, (जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से देय होगा), जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा।
3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस किया जायेगा।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू0) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी का मोबाईल नम्बर जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।

13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात – यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से करायी जायेगी कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये है।

14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 (तीन) कलर फोटो/ID proof/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।

15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. वैसे निविदादाता जिनके पास अपना ट्रेक्टर/पिकअप/छोटी वाहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहन स्वंय का ज्यादा होने पर भी प्राथमिकता नहीं दिया जायेगा। अपने नाम से न्यूनतम् दो वाहन होना अनिवार्य होगा। सभी अर्हताँए समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

17. संवेदक के चयन मुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाये जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखंड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। वाहन की व्यवस्था प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। जिस वाहन से खाद्यान्न की ढुलाई करेंगें उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम, पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे।

18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वार निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

19. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत संवेदक को परिवहन–सह–हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15वीं तारीख तक भुगतान किया जायेगा।

20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने के कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगें। चयन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

21. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।

22. बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति संवेदक हेतु निविदा में भाग ले सकता है।

23. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए ही मान्य होगा।

24. चयनित संवेदकों को मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर वितरण किये जाने वाले वाहनों में GPS अपने स्त्रोत से लगाना होगा।

## बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, सहरसा।

*संवेदक चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा पत्र*

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

1. आवेदित प्रखंड का नाम :–..............................
2. आवेदक का नाम :–..............................
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :–..............................
4. उम्र (जन्म तिथि) :–..............................
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :–..............................
6. ई–मेल पता (अनिवार्य) :–..............................
7. स्थायी पता : ग्राम......., पोस्ट........, थाना........, प्रखण्ड......., जिला......., राज्य......, पिनकोड........
8. पत्राचार का पता : ग्राम....., पोस्ट....., थाना......, प्रखण्ड....., जिला......, राज्य....., पिनकोड........
9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :–..............................

| डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता | डिमांड ड्राफ्ट संख्या | डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि | डिमांड ड्राफ्ट की राशि |
|---|---|---|---|
| | | | |

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :–..............................

| चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता | चरित्र प्रमाण पत्र संख्या | चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि | तीन माह के अंदर का है या नहीं |
|---|---|---|---|
| | | | |

Scanned with CamScanner

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :–........................................

12. हाल का खींचा हुआ तीन रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :–.................
(दो अनुलग्नक के रूप में एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)
मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ/नहीं) :–........................................

| पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना में कार्य किया गया है। | कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि | कार्य संतोषजनक/ असंतोषजनक | इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम | संबंधित प्रमाण पत्र |
|---|---|---|---|---|
| | | | | पृ०सं०..... |

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनों की संख्या :–

| निजी वाहन | | अन्य वाहन | | कुल वाहन | |
|---|---|---|---|---|---|

| क्र० सं० | वाहन मालिक का नाम | वाहन का प्रकार | वाहन निबंधन सं० | ऑनरबुक | टैक्सटोकन की अंतिम तिथि | बीमा की अंतिम तिथि | परमिट की अंतिम तिथि | फिटनेस प्रमाण पत्र | प्रदूषण प्रमाण पत्र | संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 2. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 3. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 4. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 5. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 6. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 7. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |
| 8. | | | | | | | | | | पृ.सं...... से ....... तक |

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ/नहीं) :–........।
(यदि हाँ तो, किनके नाम से .................... एवं आपसे संबंध ..........................)

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :–........।

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सहरसा के साथ सभी अनुमान्य शर्त्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ/नहीं) :–........।

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–
(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (ऊपर से नीचे तक) ................................।
(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (नीचे से ऊपर तक) ................................।

**"मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही व सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रद्द करते हुए मुझपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।**

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

स्थान :– .....................
दिनांक :– .......................

04.06.2020

**जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,**
**मध्याह्न भोजन योजना, सहरसा।**

Scanned with CamScanner

# बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, सहरसा

## निविदा आमंत्रण सूचना–01 / 2020

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017, पत्रांक–193 दिनांक–29.01.2018 एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 1218 दिनांक–10.07.2018 के आलोक में सहरसा जिलान्तर्गत सभी दस प्रखंडों (कहरा–पंचायत–15, सत्तकटैया–पंचायत–14, सौरबाजार–पंचायत–17, सोनवर्षा–पंचायत–21, पतरघट–पंचायत–11,नवहट्टा–पंचायत–14,महिषी–पंचायत–19,सिमरी बख्तियारपुर–पंचायत–22, सलखुआ–पंचायत–11 एवं बनमा ईटहरी–पंचायत–07) के लिए विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल का उठाव कर विद्यालय तक पहुंचाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए संवेदक चयन हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा दिनांक–27.06.2020 के समय–4.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवस में सिर्फ निबंधित डाक से कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, नया शिक्षा भवन, प्रथम तल, संजय पार्क के निकट, जिला– सहरसा में प्राप्त किया जायेगा।

निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के कार्यालय वेश्म में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदक या उनके प्रतिनिधि के समक्ष कार्यालय अवधि में समय–5.00 बजे खोला जाएगा।

विस्तृत जानकारी **www.prdbihar.gov.in / www.saharsa.bih.nic.in** एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

04.06.2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
सहरसा।

Scanned with CamScanner

# कार्यालय :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा

**(शाखा :– जिला मध्याह्न भोजन योजना)**

पत्रांक ....221..../

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
सहरसा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
NIC, सहरसा।

सहरसा, दिनांक 08/06/ **2020** ई0।

**विषय :–** **ज़िला के बेवसाईट पर विज्ञापन अपलोड करने के संबंध में।**

**प्रसंग :–** **निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना का पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना का पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 के आलोक में जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, सहरसा अन्तर्गत दस (10) प्रखंडों के लिए संवेदक चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में दिनांक–07.06.2020 को प्रकाशित हो चुका है।

अतः विज्ञापन की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निदेशानुसार विहित विज्ञापन सहरसा जिला के बेवसाईट www.saharsa.~~bih~~.nic.in पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

***अनुलग्नक*** :–विहित विज्ञापन की सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) एवं हार्ड कॉपी (एक सेट)।

विश्वासभाजन

08.06.2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
सहरसा।